प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 08 मार्च, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में के0जी0एम0यू0 के अंतर्गत ट्रामा सेंटर के ऊपर 2 अतिरिक्त तलों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या-13913/योजना/2018, दिनांक 22-2-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- के0जी0एम0यू0 के अंतर्गत ट्रामा सेंटर के ऊपर 2 अतिरिक्त तलों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-30/2017/248/71-2-17-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 23-3-17 द्वारा रू0 2387.81 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 2268.42 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	3358/71-2-2013-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 23-8-13	882.60
2	4737/71-2-2013-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 13-12-13	882.60
3	101/2015/4064/71-2-15-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 04-12-15	261.47
4	102/2015/4435/71-2-15-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 04-12-15	69.50
5	30/2017/248/71-2-17-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 23-3-17	172.25
	योग-	**2268.42**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में के0जी0एम0यू0 के अंतर्गत ट्रामा सेंटर के ऊपर 2 अतिरिक्त तलों के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष 5 प्रतिशत की पूर्ण धनराशि रू0 01,19,39,000/- (रूपया एक करोड उन्नीस लाख ऊन्तालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
2) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति, के0जी0एम0यू0 की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-8-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
4) स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्यदायी संस्था को अंतरित की जायेगी।
5) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या- 40/2018/865(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ ।
6) प्रबन्ध निदेशक/अपर परियोजना पब्रन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।